न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, किशनगंज।

उपस्थितः– सुरेश कुमार सिंह – II

निर्णय की तिथिः– 02.07.2026

सत्र वाद संख्या– 111/2026

C.I.S No.- 111/2026

प्रथम ईतला रिर्पोट संख्या– 84/2025 थाना– महिला थाना, जिला– किशनगंज।

सूचिका – XYZ, पति – Late ABC, साकिन– खगड़ा माछमारा वार्ड नं0– 33, थाना व जिला– किशनगंज। .....अभियोजन।

द्वारा प्रस्तुति– श्री सोरेन प्रसाद साह (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

अभियुक्तः–	1. अमन कुमार।
द्वारा प्रस्तुति–	विद्वान अधिवक्ताः– श्री सागर राज।

अपराध की तारीखः–	08.10.2025
प्रथम ईतला रिर्पोट की तिथिः–	14.10.2025
आरोप पत्र समर्पित की तिथिः–	18.03.2026
आरोप गठन की तिथिः–	15.05.2026
धारा–313 द0प्र0स0 बयान की तिथिः–	18.06.2026
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथिः–	23.06.2026
निर्णय की तिथिः–	02.07.2026
दण्डादेश की तिथिः–	

Accused Details:-

Rank of the Accused	A-1
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	1. अमन कुमार, पिता– सुनिल देवनाथ, साकिन– खगड़ा माछमारा, थाना व जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	29.01.2026
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	N/A
चार्जः–	U/S- 126(2), 115(2), 318(4), 69, 329(4), 351(2)(3), 352 of BNS.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

APPENDIX OF EVIDENCE INDEX. (साक्ष्य का अनुलग्नक)

अभियोजन साक्षी/प्रतिरक्षा साक्षी/न्यायालय साक्षी की सूचीः–

(क) अभियोजन साक्षीः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
P.W- 1	Xyz (Victim)	सूचिका सह पीड़िता साक्षी
P.W- 2	रहमत अंसारी	अन्य साक्षी
P.W- 3	यासीन अंसारी	अन्य साक्षी
P.W- 4	नरगीस खातुन	अन्य साक्षी
P.W- 5	वफा जफर	चिकित्सक साक्षी
P.W- 6	सुनीता कुमारी	अनुसंधानकर्ता साक्षी
P.W- 7	अनजुमन निशा उर्फ अजमुन निशा	अन्य साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–</u>

(क) अभियोजन प्रदर्श की सूचीः–

क्र0 सं0	**प्रदर्श संख्याः**	**विवरण**
01	प्रदर्श– P-1/PW-1	टंकित आवेदन पर साक्षी का हस्ताक्षर।
02	प्रदर्श– P-2/PW-1	धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान पर साक्षी का हस्ताक्षर।
03	प्रदर्श– P-3/PW-5	मेडिकल रिपोर्ट।
04	प्रदर्श– P-4/PW-6	पृष्ठांकन।
05	प्रदर्श– P-5/PW-7	प्रमाण–पत्र।

(ख) प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूचीः–

क्र0 सं0	**प्रदर्श संख्याः**	**विवरण**

N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय प्रदर्श की सूचीः—

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(घ) वस्तु प्रदर्श की सूचीः—

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

निर्णय

1. उपरोक्त काराधीन अभियुक्त अमन कुमार के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 318(4), 69, 329(4), 351(2)(3), 352 बी.एन.एस. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोप गठित किया गया है जिसे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग किए।

2. सूचिका द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है कि दिनांक 31.05.2022 को इनके पति मो0 असीम एवं इनकी बेटी महिरून निशा एक कार दुर्घटना मे मृत्यु हो गई। उसके बाद सूचिका अपने मॉ के पास रहने लगी। इनके पति के मृत्यु के पश्चात् इनके घर के करीब रहने वाले अमन कुमार धुसकर इनका दुख बॉटने लगा। एक दिन जबरन इनके घर मे अमन कुमार घुस गया और इनके साथ बालात्कार किया तथा अभियुक्त ने बोला कि किसी को मन बताना, तुमसे शादी कर लेंगे। इनके पति का कार ऐक्सिडेन्ट का इंश्युरेन्स क्लेम मे 5 लाख रूपया मिला था तो अमन इनसे बहला फुसला कर बिजनेश शुरू करने के नाम पर रूपया ले लिया। दिनांक 08.10.2025 समय 9.00 बजे सुबह सूचिका अभियुक्त अमन कुमार के घर पर बोलने गई कि इनके साथ 3 वर्षो तक शारीरिक सम्बन्ध बनाया है और 5 लाख रूपया का ठगी किया है तथा बाकी सामान भी ले लिया है। इस बाद पर अमन कुमार इन्हें बाहर निकाला और गंदी गंदी एवं भद्दी गाली दिया। उसके बाद अभियुक्त सूचिका को डंडा से मारा। उसके बाद अभियुक्त के परिवार के लोग भी मिलकर सूचिका के साथ मारपीट किये तथा गंदा गंदा गाली दिये। उसके पश्चात् सूचिका द्वारा दिए गए टंकित आवेदन के आधार पर किशनगंज महिला थाना कांड संख्या 84/2025 दर्ज हुआ।

3. अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोंपरात प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त अमन कुमार के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 318(4), 69, 329(4), 351(2)(3), 352 बी.एन.एस. के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 24/2026, दिनांक 18.03.2026 को विद्वान एस.डी.जे.एम, प्रभारी, किशनगंज के न्यायालय में समर्पित किया गया। समर्पित आरोप पत्र के आधार पर विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञान लिया गया।

4. दौरा सुपुर्दगी पश्चात् सत्र न्यायालय में सत्र वाद दर्ज हुआ तथा वाद को विचारण हेतु इस न्यायालय मे स्थानान्तरीत किया गया। दिनांक 15.05.2026 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमन कुमार के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 318(4), 69, 329(4), 351(2)(3), 352 बी.एन.एस. में आरोप का गठन कर गठित आरोप को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे वे इंकार किये एवं विचारण की मांग किये।

5. अभियोजन ने अपने केस के समर्थन में 07 साक्षियों को प्रस्तुत किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 xyz (सूचिका सह पीड़िता), अभियोजन साक्षी संख्या 02 रहमत अंसारी, अभियोजन साक्षी संख्या 03 यासीन अंसारी, अभियोजन साक्षी संख्या 04 नरगीस खातुन, अभियोजन साक्षी संख्या 05 डा वफा जफर

(चिकित्सक), अभियोजन साक्षी संख्या 06 सुनीता कुमारी (अनुसंधानकर्ता) एवं अभियोजन साक्षी संख्या 07 अनजुमन निशा उर्फ अजमुन निशा हैं।

6. अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में टंकित आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श– P-1/PW-1, धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श– P-2/PW-1, मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श– P-3/PW-5, पृष्ठांकन को प्रदर्श– P-4/PW-6, प्रमाण–पत्र को प्रदर्श– P-5/PW-7 अंकित किया गया है।

7. अभियोजन साक्ष्य बंद कर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2026 को अभियुक्त का बयान द0प्र0स0 की धारा–313 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध लगाए गए अभियोगों से इन्कार किया तथा अपने को निर्दोष बताया।

8. बचाव पक्ष के तरफ से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अब विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे साबित करने में सफल रहा हैं ?

<u>मन्तव्य</u>

10. इस मामले में अभियोजन ने कुल 07 साक्षियों का साक्ष्य कराया है। सर्वप्रथम मामले की सूचिका के साक्ष्य का विवेचना करना उचित प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 Xyz (सूचिका) हैं इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कही है कि इन्होंने केस अमन कुमार के विरूद्ध की है। घटना के सम्बन्ध मे थाना मे टंकित आवेदन दिये थे। अभियुक्त अमन कुमार के साथ पैसा को लेकर झगड़ा–लड़ाई हुआ था। उस समय इनके पति मर चुके थे। पति के मरने के बाद अमन कुमार से जान–पहचान बढ़ी। वह इनके घर के बरामदा मे आया–जाया करता था तथा इनसे प्यार करता था। इनके पति की मृत्यु एक्सिडेन्ट मे हुआ था। इनके पति के मरने के बाद इन्हें 5,00,000/– रूपया मुआवजा मिला था। अभियुक्त अमन ने प्यार इनसे किया तथा शादी इनकी भतीजी से किया। इसी बात को बोलने के लिए उसके घर गई थी तो उसके मॉ–पिता इनके साथ मारपीट किये थे तथा घर से भगा दिये थे। इसी बात का केस इन्होने किया था। प्रतिपरीक्षण के क्रम मे पारा 07 मे साक्षी ने कहा है कि लिखना पढ़ना नहीं जानती हूॅ। सिर्फ हस्ताक्षर करना जानती हूॅ। थाना मे दिए गए आवेदन को इन्हें किसी ने पढ़कर नहीं सुनाया था। पारा 09 मे साक्षी ने कहा है कि अमन दुसरे के साथ शादी कर लिया था इसलिए केस कर दिये। पारा 10 मे साक्षी ने कहा है कि आज से पहले जो बयान कोर्ट मे हुआ था उसमे क्या बोली थी इन्हें याद नहीं है। इस साक्षी के साक्ष्य मे काफी विरोघाभाष है जो अभियोजन केस का समर्थन नहीं करता है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 02 रहमत अंसारी है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि इन्हें घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 03 यासीन अंसारी है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि इन्हें घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 04 नरगीस खातुन है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि इन्हें घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 05 डा0 वफा जफर (चिकित्सक) है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि On 30.10.2025, I was posted at Sadar Hospital Kishangnaj as M.O (Dental). On that day A Medical board Constituted by D.S Sadar Hospital, Kishanganj on Dated 30-10-2025 comprising of Dr. Kundan Anand, Dr. Wafa Zafar & My self Dr. Singh Saroj Singh all Mo's of Sadar Hospital KNE to ascertain the age, & rape of victim, W/o- Late Md Asim, Residence of village- Khagra Machmara, PS & Distt Kishanganj. Referred from Mahila Thana Kishanganj with PS case No. - 84/25, Dated 14.10.2025. Produced and identified by female constable No.- 384 Pushpa Sharma Mahila Thana Kishanganj. Victim admitted in female ward Sadar Hospital Kishanganj with Indoor Registration No. 3115, dated 30.10.2025, at 12.15 PM. After obtaining free and fair consent in presence of female constable we examined and found following-

Height- 05 feet 1 inch, Weight- 40 Kg.

MI- (1) Right hand old scar.

(II) Left chest small mole.

Victim is conscious, Co-operative, well oriented to time place and person.

Clothing- She wearing purple and brown printed salwar suit and red bra. No stain no torn found on her clothes.

All secondary sexual characters are developed. No external injury found on the body of victim.

P/A- Soft, uterus not palpable.

P/V- Vulva, Vagina normal. Hymen old ruptured. No injury over genitalia or inner thighs.

Investigation-

(1) UPT done at Sadar Hospital, Kishanganj on dated 30.10.2025 shows Negative (-ve) as per lab report.

(2) Vaginal swab test done at Sadar Hospital Kishanganj on dated 30.10.2025 shows no spermatozoa found either alive or dead.

(3) USG done at Sonoscan diagnostic center Kishanganj on dated 30.10.2025 produced by IO shows normal sonogram.

(4) Age determination- As per medical board opinion based on radiological, clinical and dental findings the age of victim is between 20-22 years average age 21 years.

Opinion- (1) As per medical board opinion the age of victim is in between 20-22 years average age 21 years.

(2) There is no evidence of recent sexual intercourse spermatozoa not found either alive or dead.

(3) Other findings are as mentioned above.

2- यह मेडिकल रिपोर्ट टंकक से टंकित कराया गया था। जिस पर इनका सील के साथ हस्ताक्षर है तथा डा0 कुन्दन कुमार एवं डॉ0 सिंह सरोज सिंह भी लघु हस्ताक्षर जिसे पहचान किये है। मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श–P-3/PW-5 अंकित किया गया है। प्रतिपरीक्षण के क्रम में पारा 03 मे साक्षी ने कहा है कि पीड़िता के शरीर पर कोई जख्म नहीं पाया गया था। इस साक्षी के साक्ष्य मे भी कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है जो अभियोजन केस का समर्थन करता है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 06 सुनीता कुमारी (अनुसंधानकर्ता) है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि ये दिनांक 14.10.2025 को किशनगंज महिला थाना मे थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन इन्होने सूचिका द्वारा दिये गये टंकित आवेदन पर केस दर्ज किये जाने का पृष्ठांकन इनके लिखावट एवं हस्ताक्षर मे है जिसे पहचान किये है। केस दर्ज किये जाने के पृष्ठांकन को प्रदर्श–P-4/PW-6 अंकित किया गया है। केस दर्ज करने के बाद इन्होने इस केस का अनुसंधान का भार स्वयं ग्रहण किया। उसके पश्चात् आवेदन का अवलोकन कर कांड दैनिकी मे अंकित किया। उसके पश्चात् पीड़िता का बयान लिया। पीड़िता के बताये अनुसार घटना स्थल के लिए प्रस्थान किये। इस कांड का घ टना स्थल वादिनी का पक्का का बना हुआ पूरब रूख का मकान है। जहॉ पर पीड़िता के साथ बालात्कार करने की बात बतायी गयी है। घटना स्थल के उत्तर में पक्की सड़क है जो माछमारा से कालु चौक की ओर जाती है, दक्षिण मे परती जमीन है, पूरब मे पक्की सडक है जो मस्जिद की ओर जाती है, पश्चिम अफाक का पक्का एवं टीन का बना मकान है। उसके पश्चात् रहमान अंसारी का बयान दर्ज किया। उसके पश्चात् जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन कर कांड दैनिकी मे अंकित किया। उसके पश्चात् यासिन अंसारी एवं नरगिस दत का बयान दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त हुआ। इस कांड के अभियुक्त के अपराधिक ईतिहास के लिए अनुरोध पत्र भेजा। इनके विरूद्ध नगर थाना किशनगंज मे कोई आपराधिक ईतिहास उपलब्ध नहीं है। इसका अपराधिक इतिहास रेल थाना, किशनगंज मे पाया गया है। उसके पश्चात् मैने अभियुक्त अमन कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 24/2026 दिनांक 18.03.2026 को समर्पित किया है। प्रतिपरीक्षण के क्रम में पारा 11 मे साक्षी ने कहा है कि अनुसंधान का भार ग्रहण करने के बाद इन्होने केस डायरी मे एस.डी. इन्ट्री नही किया था। पारा 12 मे साक्षी ने कहा है कि अनुसंधान के दौरान पता चला कि सूचिका एवं अभियुक्त दोनो पहले से एक दुसरे को जानते थे। दोनो मे प्रेम प्रसंग था। पारा 13 मे साक्षी ने कहा है कि अमन के द्वारा सूचिका से किसी खाता से पैसा टॉसफर करने की बात नहीं आई है क्योंकि सूचिका ने अपना बैंक खाता का विवरण नहीं दिया था। पारा 14 मे साक्षी ने कहा है कि तथाकथित घटना को होते हुये देखने वाला गवाह का बयान इन्होने नहीं लिया है।

16. अभियोजन साक्षी संख्या 07 अनजुमन निशा उर्फ अजमुन निशा है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि इन्होने एक प्रमाण–पत्र दिया था कि रहमतुन निशा खगड़ा माछमारा की रहने वाली

है। प्रमाण पत्र पर इनका हस्ताक्षर है जिसे प्रदर्श– P-5/PW-7 अंकित किया गया है। प्रतिपरीक्षण के क्रम में पारा 04 मे साक्षी ने कहा है कि इनका बयान पुलिस के समक्ष नहीं हुआ था।

17. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में सूचिका एवं अन्य साक्षियों ने अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त निर्दोष है उसे दोषमुक्त किया जाए।

18. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षी संख्या 02 रहमत अंसारी, अभियोजन साक्षी संख्या 03 यासीन अंसारी एवं अभियोजन साक्षी संख्या 04 नरगीस खातुन है। इन तीनो साक्षियों ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से अभियोजन द्वारा इन तीनो साक्षियों को पक्षद्रोही घ ोषित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 07 अनजुमन निशा उर्फ अजमुन निशा है इन्होंने साक्ष्य के दौरान पारा 04 मे कहा है कि इनका बयान पुलिस के समक्ष नहीं हुआ था। अभियोजन साक्षी संख्या 05 डा0 वफा जफर (चिकित्सक) है इन्होने साक्ष्य के दौरान अपने मंतव्य मे कहा है कि **There is no evidence of recent sexual intercourse spermatozoa not found either alive or dead.** परा 03 मे साक्षी ने कहा है कि पीड़िता के शरीर पर कोई जख्म नहीं पाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 06 सुनीता कुमारी (अनुसंधानकर्ता) है इन्होने साक्ष्य के दौरान पारा 12 मे कहा है कि अनुसंधान के दौरान पता चला कि सूचिका एवं अभियुक्त दोनो पहले से एक दुसरे को जानते थे तथा दोनो मे प्रेम प्रसंग था। पारा 14 मे साक्षी ने कहा है कि तथाकथित घटना को होते हुये देखने वाला गवाह का बयान इन्होंने नहीं लिया था। अभियोजन साक्षी संख्या 01 सूचिका है इन्होने साक्ष्य के दौरान पारा 07 मे कहा है कि पढ़ना–लिखना नहीं जानती है। सिर्फ हस्ताक्षर करना जानती है। थाना मे दिए गए आवेदन को इन्हें किसी ने पढ़कर नहीं सुनाया था। पारा 08 मे इन्होने कहा है कि अमन से पहले दोस्ती था इसलिए इनके घर आना–जाना था। पारा 09 मे साक्षी ने कहा है कि अमन दुसरे के साथ शादी कर लिया था इसलिए केस कर दिये। जिस मामले मे सूचिका ने अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है तब इस केस मे अन्य साक्ष्य का महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर सका है।

19. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन काराधीन अभियुक्त अमन कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 318(4), 69, 329(4), 351(2)(3), 352 बी.एन.एस. को युक्ति युक्त संदेह की छाया से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः

आदेश

काराधीन अभियुक्त अमन कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 318(4), 69, 329(4), 351(2)(3), 352 बी.एन.एस. से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त अमन कुमार कारा अभिरक्षा मे निरूद्ध है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उसके मुक्ति हेतु मुक्ति आदेश निर्गत करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवंअपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांकः– 02.07.2026

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांकः– 02.07.2026

Date of Judgment/Order	02-07-2026
Date of reserving judgment/order	23-06-2026
Uploading Date	02-07-2026
Uploaded by	Deposition Writer